


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)

इंकारा पिता नानूराम बनाम मांगीलाल पिता नानूराम व अन्य

धारा 111-128 एल0आर0ए

Online No. 2022/514
मुकदमा 357/2022

04.10.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो, नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-357/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उपदान

1. श्री ऊंकार पुत्र श्री नानूराम निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा

-प्रार्थी

बनाम

1. श्री मांगीलाल पुत्र श्री नानूराम
2. श्री शंकर पुत्र श्री नानूराम
3. श्री गोविन्द पुत्र श्री रतन लाल
4. श्री मंदर लाल पुत्र श्री रामचन्द्र
5. श्री कैलाश पुत्र श्री रामचन्द्र
6. श्री राधेश्याम पुत्र श्री रामचन्द्र
7. श्री नारायण पुत्र श्री घीसूलाल

निवासीयान दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय

दिनांक 04.10.2022


उपस्थित-1- स्वयं प्रार्थी

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0मू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दरीबा, पटवार हल्का दरीबा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 459 में खसरा नंबर 51 रकबा 1.5427 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण के नोटिस जारी किये गये। सम्मन बाद तामील प्राप्त नहीं हुए। विपक्षी संख्या 08 की ओर से परोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम दरीबा, पटवार हल्का दरीबा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 459 में खसरा नंबर 51 रकबा 1.5427 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं

// आदेश //


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम दरीबा, पटवार हल्का दरीबा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 459 में खसरा नंबर 51 रकबा 1.5427 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढ़ी शुल्क 350/- रुपये तहसीलदार भीलवाड़ा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थी जमा कराने। पत्थरगढ़ी किये जाने


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

के लिये भू0अ0निरीक्षक पांसल 500/-रूपये (पांच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 पांसल जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।


पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।



(ओम प्रभा)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा